NOVATEUR PUBLICATIONS
JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal
ISSN No: 2581 - 4230
VOLUME 8, ISSUE 8, Aug. -2022

ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण (उत्तराखण्ड के जनपद चम्पावत की ग्राम पंचायतों के संदर्भ में)

Political Empowerment of Rural Women in gram panchayats

(A study with reference to gram panchayats in Champawat District of Uttarakhand)

1. खिलानन्द जोशी, शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय – रूद्रपुर (उधम सिंह नगर), उत्तराखण्ड।
2. डॉ0 दिनेश शर्मा, राजनीति विज्ञान विभाग, पं0 ललित मोहन शर्मा कैम्पस (श्री देव सुमन विश्वविद्यालय) ऋषिकेश, उत्तराखण्ड।

चन्द राजाओं की राजधानी चम्पावत अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं धार्मिक महत्व के लिए जाना जात है। चम्पावत जो पूर्व में पिथौरागढ जनपद का ही एक भाग था, लेकिन लम्बे संघर्ष एवं आंदोलनों के पश्चात 15 सितम्बर 1997 को नवीन जनपद के रूप में गठित हुआ।
"चम्पावत का प्राचीन नाम कुमुं है, काली नदी हाने के कारण इसे काली कुमु भी कहते हैं"।
चम्पावती नदी के किनारे अवस्थित होने के कारण इसका मूल नाम चम्पावत पडा। चम्पावत उत्तराखण्ड का सबसे छोटा जनपद है। इसका अधिकांस भाग पर्वतीय है, लेकिन कुछ हिस्सा टनकपुर एवं बनबसा का मैदानी भाग है। चम्पावत जनपद का सामरिक महत्व है क्योंकि यह नेपान सीमा से लगा हुवा क्षेत्र है। उत्तर में रामगंगा नदी चम्पावत को पिथौरागढ जनपद से अलग करती है, जबकि दक्षिण में जगपुडा और पनार नदियां चम्पावत, उधमसिंह नगर एवं अल्मोडा जिलों के मध्य सीमा का कार्य करती हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में पर्वत श्रृंखला चम्पावत को नैनीताल जनपद के साथ सीमा विभाजन का कार्य करती है। चम्पावत का भौगोलिक क्षेत्रफल 1613 वर्ग किमी है, जिसमें चार तहसील (एक उप तहसील), चार विकास खण्ड और 691 भू राजस्व ग्राम हैं। ऐसा माना जाता है कि चम्पावत जिला उत्तराखण्ड के धर्म और संस्कृति का स्रोत एवं उत्पत्ति स्थल है। प्राचीन समय में यह क्षेत्र नागा, किन्नर और खस जातियों का उदगम स्थल था। उपलब्ध ऐतिहासिक स्तंभ, पाण्डुलिपियां, पुरातत्व संग्रह और लोक कथाऐं महाभारत की अवधि के दौरान इस क्षेत्र की महानता का वर्णन करती हैं। देवीधुरा का बाराही मंदिर, लोहाघाट (बिशुंग) बाणासुर का किला, चम्पावत का बालेश्वर व घटोत्कच मंदिर एवं सिप्टी का सप्तेश्वर मंदिर महाभारत कालीन माने जाते हैं।
ऐसी मान्यता है कि राजा ब्रहम देव की राजधानी सुई (लोहाघाट) में थी और उनके समकालीन राजा अर्जुन देव की राजधानी दमनकोट में थी। सैम देव के साथ राजा अर्जुन देव की बेटी चम्पावती के विवाह ने इस क्षेत्र में चन्द वंश की सत्ता के लिए द्वार खोल दिये। लगभग 1790

में गोरखा राज की स्थापना के साथ चंद वंश का अंत हो गया। 1814–15 में संगोली की सधि के द्वारा अंग्रेजों ने गोरखाओं को इस जगह को छोडने के लिए मजबूर कर दिया । भारतीय "स्वतंत्रता आंदोलन में भी इस क्षेत्र के योद्वाओं का इतिहास उनके बलिदानों के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है"।

नवनिर्मित जनपद चम्पावत उत्तराखण्ड की राजनीति में कम महत्व का माना जाता था, जनपद में दो विधानसभा की सीटें हैं चम्पावत एवं लोहाघाट विधानसभा। लेकिन समय के साथ चम्पावत कम जनसंख्या एवं कम क्षेत्रफल के बाद उत्तराखण्ड की राजनीति में अपनी अलग छाप छोडने में कामयाब रहा है। महिला प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो वर्ष 2007 में चम्पावत विधानसभा के लोगों ने एक महिला प्रतिनिधि को विधानसभा में प्रतिनिधित्व के लिए चुना । त्रि–स्तरीय पंचायतों में महिला सहभागिता के दृष्टि से देखा जाए तो इस जनपद की स्थिति भी प्रदेश के दूसरे जनपदों से भिन्न नहीं है। महिलाओं की आकांक्षाऐं बढ रही हैं परन्तु उनकी दैनिक समस्याऐं एवं सामाजिक बंधन आज भी उनके रास्ते में बाधक है। जनपद चम्पात में वर्तमान में कुल 313 ग्राम पंचायतें हैं, जो चार विकासखण्डों (पाटी,बाराकोट,लोहाघाट एवं चम्पावत) में विभाजित हैं। त्रि– स्तरीय पंचायत के सबसे निचले स्तर ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के पदों में महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगभग 50 प्रतिशत है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में महिलाओं की राजनीति में सहभागिता एवं निर्णय लेने में स्वतंत्रता बढ रही है ? इन प्रश्नों एवं आशंकाओं का उत्तर ढूढना आवश्यक है जिससे कि महिलाओं को राजनीति में भागीदार बनाने एवं नीति निर्माण में सहभागी बनने के योग्य बन सकें।

अध्ययन क्षेत्र : प्रस्तुत शोध पत्र ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण (उत्तराखण्ड के जनपद चम्पावत की ग्राम पंचायतों के संद्रर्भ में) से सम्बन्धित है। जिसमें तथ्यों का संकलन एवं उनके विश्लेषण का प्रयास ईमानदारी पूर्वक किया गया है। जनपद चम्पावत में त्रि–स्तरीय पंचायती चुनाव वर्ष 2008–9, 2014 एवं वर्ष 2019 का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, साथ ही महिलाओं की पंचायतों में सहभागिता का जातिवार विश्लेषण किया गया है। शोध पत्र में द्वितीयक आंकडों जैसे विभिन्न सरकारी दस्तावेज, पुस्तकों, वेब सोर्स आदि की सहायता ली गयी है। शोधार्थी स्वयं जनपद चम्पावत के ग्रामीण पृष्ठभूमि का है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के राजनीतिक व्यवहार, भागीदारी, निर्णय लेने की स्वतंत्रता एवं चुनौतियों का अध्धयन एवं मूल्यांकन करने में मदद मिली।

अध्ययन उद्देश्य – प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन का उद्देश्य ग्राम पंचायतों में ग्रामीण महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण एवं महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता, निर्णय लेने

की स्वतंत्रता, महिलाओं का ग्राम पंचायतों में जातिवार प्रतिनिधित्व इन सभी पहलुओं का अध्ययन करना है।

वर्ष 2008–9, 2014 तथा वर्ष 2019 में सम्पन्न चुनावों में ग्राम प्रधान के पदों में जातिवार महिलाओं की स्थिति :

जनपद का नाम	कुल ग्राम पंचायत			सामान्य वर्ग महिला			अनुसूचित जाति महिला			अनुसूचित जन जाति महिला			अन्य पिछडा वर्ग महिला			कुल महिला		
निर्वाचन वर्ष	2008–9	2014	2019	2008–9	2014	2019	2008–9	2014	2019	2008–9	2014	2019	2008–9	2014	2019	2008–9	20104	2019
चम्पावत	290	313	313	111	118	117	26	32	28	01	00	00	09	08	07	147	158	152

स्रोत : राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड – 2008–9, 2014, 2019

वर्ष 2008–9 में सम्पन्न हुए त्रि–स्तरीय पंचायत चुनावों में महिलाओं की जातिवार स्थिति – उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि वर्ष 2008 में ग्राम प्रधान के कुल 290 पदों के लिए निर्वाचन हुआ जिसमें से कुल 147 महिलाऐं निर्वाचित हुई। सामान्य वर्ग में 111 महिलाऐं निर्वाचित हुई, अनुसूचित जाति में 26 महिलाऐं निर्वाचित की गयी, अन्य पिछडा वर्ग जाति में 9 महिलाओं का निर्वाचन हुआ एवं अनुसूचित जन जाति से 1 महिला का ग्राम प्रधान के पद हेतु निर्वाचन हुआ। 12 मार्च 2008 में पारित उत्तराखण्ड पंचायत (संसोधन) अधिनियम 2008 के द्वारा 50 प्रतिशत पदों को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया था, जिससे त्रि–स्तरीय पंचायतों में महिलाओं की संख्या में वृद्वि हुई ।

वर्ष 2014 में सम्पन्न हुए त्रि–स्तरीय पंचायत चुनावों में महिलाओं की जातिवार स्थिति – वर्ष 2014 में सम्पन्न हुए त्रि–स्तरीय पंचायत चुनावों में जनपद चम्पावत के कुल ग्राम प्रधान पदों की संख्या में वृद्वि की गई थी। 2008 में सम्पन्न पंचायत चुनावों में ग्राम प्रधानों के कुल 290 पद थे जो 2014 में बढ कर 313 हो गए। कुल ग्राम प्रधान के पदों में से 50.47 प्रतिशत अर्थात 158 पदों में महिलाऐं निर्वाचित हुई। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों से ज्यादा पदों में महिलाओं का निर्वाचन भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के लिए अच्छा संकेत माना जा सकता है । सामान्य वर्ग में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 118 थी, जबकि अनुसूचित जाति में महिलाओं का 32 पदों में निर्वाचन हुआ, अनुसूचित जनजाति में किसी भी महिला का निर्वाचन नहीं हुआ। अन्य पिछडा वर्ग जाति में से 8 महिलाओं को जनता द्वारा अपना प्रतिनिधि बना कर पंचायतों में भेजा गया।

वर्ष 2019 में सम्पन्न हुए त्रि–स्तरीय पंचायत चुनावों में महिलाओं की जातिवार स्थिति

– वर्ष 2019 में त्रि–स्तरीय पंचायत चुनाव उत्तराखण्ड पंचायती राज (संसोधन) अधिनियम 2019 के अनुपालन में सम्पन्न हुए। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा कु रियायतें (दो या दो से अधिक संतान) दी गई थी। इस अधिनियम द्वारा पंचायतों में ग्राम प्रधान हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वी पास को अनिवार्य कर दिया गया। वर्ष 2019 के त्रि–स्तरीय पंचायत चुनाव में जनपद चम्पावत में कुल 313 ग्राम प्रधान के पदों हेतु निर्वाचन हुआ, जिसमें 152 पदों (48.56 प्रतिशत) में महिलाऐं निर्वाचित हुई, यह महिलाओं के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत आरक्षित पदों से कम था, जो एक चिन्ताजनक विषय है। सामान्य वर्ग की महिलाओं में कुल 117 पदों पर महिलाऐं निर्वाचित हुई, अनुसूचित जाति में 28 महिलाऐं का निर्वाचन हुआ व अनुसूचित जन जाति में किसी भी महिला प्रतिनिधि का निर्वाचन नहीं हुआ एवं अन्य पिछडा वर्ग में 7 महिला जन प्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ।

त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान का पद महत्वपूर्ण है। उपरोक्त तालिका के अध्ययन एवं विश्लेषण से यह सिद्व होता है कि पंचायती राज (संसोधन) अधिनियम 2008 के द्वारा महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे पंचायतों में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता बढी है। यह सर्वविदित है कि महिलाऐं उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था की रीढ हैं। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि चम्पावत जनपद भले ही क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से छोटा हो लेकिन सामरिक रूप से इसका महत्व कम नहीं माना जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से प्रदेश के दूसरे पर्वतीय जनपदों की भांति चम्पावत के ग्रामीण क्षेत्रों से भी रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन हो रहा है। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाऐं, बच्चे एवं वृद्व ही अधिकांश संख्या में रह गये हैं, अतः महिलाओं को सशक्त, आत्म निर्भर बनाने हेतु और अधिक उपाय करने की आवश्यकता है।

वर्ष 2008–9, 2014 एवं 2019 में क्षेत्र पंचायत के सदस्य के पदों में महिलाओं की स्थिति अथवा राजनीतिक सहभागिता :

जनपद का नाम	कुल क्षेत्र पंचायत			सामान्य वर्ग महिला			अनुसूचित जाति महिला			अनुसूचित जन जाति महिला			अन्य पिछडा वर्ग महिला			कुल महिला		
निर्वाचन वर्ष	2008–9	2014	2019	2008–9	2014	2019	2008–9	2014	2019	2008–9	2014	2019	2008–9	2014	2019	2008–9	20104	2019
चम्पावत	130	134	134	50	47	47	12	15	15	00	00	00	04	05	05	66	67	67

स्रोत : राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड – 2008–9, 2014 एवं 2019

वर्ष 2008–9 में सम्पन्न क्षेत्र पंचायत के चुनावों में महिलाओं की स्थिति –

वर्ष 2008–9 में त्रि–स्तरीय पंचायती चुनावों में क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में जनपद चम्पावत में 130 पद कुल सदस्यों के थे, जिनमें महिलाओं के लिए 66 आरक्षित पद थे, जिसमें सामान्य महिला वर्ग में 50 पदों में महिला निर्वाचित हुई। इसी प्रकार अनुसूचित जाति में 12 महिलाओं को क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने का अवसर प्राप्त हुआ, अनुसूचित जन जाति में कोई भी महिला प्रतिनिधि नहीं चुनी गई, अन्य पिछडा वर्ग में चार महिलाओं को क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

वर्ष 2014 में सम्पन्न क्षेत्र पंचायत के चुनावों में महिलाओं की स्थिति –

क्षेत्र पंचायत के चुनावों में वर्ष 2014 में कुल 134 पदों में से 67 पद महिलाओं हेतु आरक्षित थे, जिसमें से सामान्य महिला वर्ग में 47 महिलाऐं, अनुसूचित जाति में 15, अनुसूचित जन जाति में शून्य एवं अन्य पिछडा वर्ग में 5 महिलाओं को क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचित होने का अवसर प्राप्त हुआ। वर्ष 2008–9 के मुकाबले इस वर्ष अधिक महिलाऐं निर्वाचित हुई, जो उनकी राजनीति में बढती हुई रूचि को प्रदर्शित करता है।

वर्ष 2019 में सम्पन्न क्षेत्र पंचायत के चुनावों में महिलाओं की स्थिति –

वर्ष 2019 का क्षेत्र पंचायत चुनाव उत्तराखण्ड पंचायती राज (संसोधन) अधिनियम 2019 के उपरान्त सम्पन्न हुआ था। जिसमें पंचायत सदस्यों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं थी, जो शर्त इससे पूर्व के निर्वाचनों में अनिवार्य नही थी। इस वर्ष भी क्षेत्र पंचायत की कुल सदस्यों की संख्या 134 थी, जिनमें 67 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे जिनमें वह निर्वाचित हुई। सामान्य महिला वर्ग में 47, अनुसूचित जाति में 15, अनुसूचित जनजाति में शून्य एवं अन्य पिछडा वर्ग में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 5 थी।

वर्ष 2008–9, 2014 एवं 2019 में सम्पन्न चुनावों में जिला पंचायत सदस्य के पदों में जातिवार महिलाओं की स्थिति–

जनपद का नाम	कुल क्षेत्र पंचायत			सामान्य वर्ग महिला			अनुसूचित जाति महिला			अनुसूचित जन जाति महिला			अन्य पिछडा वर्ग महिला			कुल महिला		
निर्वाचन वर्ष	2008–9	2014	2019	2008–9	2014	2019	2008–9	2014	2019	2008–9	2014	2019	2008–9	2014	2019	2008–9	20104	2019
चम्पावत	15	15	15	05	05	05	02	02	02	00	00	00	01	01	01	08	08	08

स्रोत : राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड – 2008–9, 2014 एवं 2019

वर्ष 2008–9 में सम्पन्न हुए जिला पंचायत निर्वाचन में महिला सदस्यों की स्थिति –

वर्ष 2008–9 में सम्पन्न हुए त्रि–स्तरीय जिला पंचायत चुनाव में कुल सदस्यों की संख्या 15 थी, जिनमें से 8 सदस्यों के पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे, जिनमें वह निर्वाचित हुई। जातिवार विश्लेषण किया जाए तो जिला पंचायत सदस्य के 5 पदों में सामान्य वर्ग की महिलाऐं निर्वाचित हुई, अनुसूचित जाति में 2, अनुसूचित जनजाति में शून्य एवं अन्य पिछडा वर्ग में एक महिला प्रतिनिधि को सदस्य बनने का अवसर प्राप्त हुआ।

वर्ष 2014 में सम्पन्न हुए जिला पंचायत निर्वाचन में महिला सदस्यों की स्थिति –

वर्ष 2014 में भी जिला पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 15 थी, जिनमें से 50 प्रतिशत (8) पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। जिसमें से सामान्य महिला वर्ग में 5 पद, अनुसूचित जाति में 2, अनुसूचित जनजाति में शून्य एवं अन्य पिछडा वर्ग में एक सदस्य जिला पंचायत सदस्य हेतु प्रतिनिधि बनी।

वर्ष 2019 में सम्पन्न हुए जिला पंचायत निर्वाचन में महिला सदस्यों की स्थिति –

वर्ष 2019 में भी जिला पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 15 थी, जिनमें से 50 प्रतिशत (8) पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे। जिसमें से सामान्य महिला वर्ग में 5 पद, अनुसूचित जाति में 2, अनुसूचित जनजाति में शून्य एवं अन्य पिछडा वर्ग में एक सदस्य जिला पंचायत सदस्य हेतु प्रतिनिधि बनी। उत्तराखण्ड पंचायती राज (संसोधन) अधिनियम –2019 के उपरान्त जिसमें न्यूनतम शैक्षिक अर्हता को अनिवार्य कर दिया गया, जिससे यह उम्मीद की जा सकती है कि त्रि–स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में शिक्षित लोगों को प्रतिनिधि बनने का अवसर प्राप्त होगा।

उपरोक्त आंकडों का विश्लेषण करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 73वें संवैधानिक संसोधन के पश्चात पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता बढी है। 2008 के पंचायती राज संसोधन के उपरान्त महिलाओं के 50 प्रतिशत पदों को आरक्षित करने से त्रि–स्तरीय पंचायतों में महिलाओं की राजनीतिक भागेदारी में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। हालांकि अभी भी अनेक ग्राम पंचयातों में महिलाऐं नाम मात्र की प्रतिनिधि है, व्यवहारिक रूप से उनके अधिकारों का उपभोग उनके पति अथवा पुरूष अभिवावकों के द्वारा किया जा रहा है। समाज में चलाये जा रहे विभिन्न महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित आंदोलनों से ग्रामीण महिलाऐं भी अनभिज्ञ नहीं हैं एवं उनसे प्रेरित भी होती हैं, लेकिन इसके उपरान्त भी ग्रामीण महिलाओं के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। अभी भी महिलाओं में शिक्षा का अभाव है, जिससे वह अपने राजनीतिक अधिकारों को नहीं समझ पाती हैं,साथ ही समाज में अभी भी पितृसत्तात्मक सोच गहरी जडें जमाये हुए है, जो महिलाओं को आगे बढने में बाधक बना हुआ है। इन सभी बाधाओं एवं रूकावटों को दूर किये बिना महिला सशक्तिकरण की कल्पना करना संभव नहीं है।

संद्रर्भ ग्रन्थ सूचि –

1. सिंह रणवीर एवं सिंह (सं0) लोकल डेमोक्रेसी एण्ड गुड गवर्नेंस, फाइव डिकेड्स ऑफ पंचायती राज दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन प्रा0 लि0 नई दिल्ली।
2. गुप्ता नीलम, भारत में महिलाओं के राजनीतिक अधिकार एवं नेतृत्व के आयाम।
3. नवानी एवं रावत (सं0) उत्तराखण्ड एयर बुक 2016 नवां संस्करण विनसर पब्लिशिंग कम्पनी देहरादून 2016 ।
4. कुमार मनीष (2008) "महिला सशक्तिकरण : दशा और दिशा" मधुर बुक्स प्रकाशन।
5. तालिका रिफरेन्स राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड।